न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00463

1. बंशी लाल पुत्र स्व0 गंगाबिशन जाति मीणा आयु 42 वर्ष निवासी कैथोडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामजानकी पत्नी जानकी लाल पुत्री स्व0 गंगाबिशन जाति मीणा आयु 64 वर्ष निवासी ग्राम झौंपडियॉ तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीता बाई पत्नी श्री अमर लाल पुत्री स्व0 गंगाबिशन जाति मीणा आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती संतोष बाई पुत्री स्व0 गंगा बिशन पत्नी श्री राधेश्याम मीणा जाति मीणा आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम बालपुरा पटवार मण्डल अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजबिहारी गोचर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दिनेश सिंह सिसोदिया, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कादीहेडा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 371 की 2.41 हैक्टर व खसरा नम्बर 413 की 0.18 हैक्टर कुल 02 किता की 2.59 हैक्टर आराजी स्थित है।

उक्त भूमि रामनाथ, जगन्नाथ, गोपाल, बंशीलाल, रामजानकी, सीताबाई एवं संतोष बाई के नाम दर्ज है । इसी ग्राम केथोडी तहसील लाडपुरा में कुल 02 किता की रकबा 3.62 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि रामनाथ, जगन्नाथ, कस्तूरी, रामगोपाल, बंशीलाल, रामजानकी, सीताबाई व संतोष बाई के नाम दर्ज है । वादिनी का उक्त आराजियात में हिस्सा अधिकार है । प्रतिवादीगण ने जालसाजी करके वादिनी व प्रतिवादी कम 2 व 3 की हिस्सा आराजी का हक परित्याग प्रतिवादी कम 01 के पक्ष में करने हेतु दस्तावेजात तैयार करवाकर दिनांक 05.08.2016 को निष्पादित करा लिया जिसका ज्ञान होने पर वादिनी ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति पेश की लेकिन प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि दिनांक 05.08.2016 को निष्पादित कराये गये रिलीज डीड दस्तावेज को अवैध घोषित करवाये और प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि दिनांक 05.08.2016 को निष्पादित कराये गये रिलीज डीड दस्तावेज का अवैध शून्य घोषित करें तथा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादिनी के हिस्से की आराजी का बेचान नहीं करें एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करे और वादिनी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद वादिनी खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादिनी द्वारा रिलीज डीड जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज है को अवैध घोषित कराने के लिए अनुतोष चाहा है जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय को नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान में किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को अवैध घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.06.2017 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिकी कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीण द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर कोई निर्णय पारित किये बिना लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट दिनांक 12.06.2017 को लोक अदालत में उपस्थित हुए थे तथा वादिनी की अनुपस्थिति के कारण अपीलान्ट को बताया कि वादी की अनुपस्थिति में वाद का निस्तारण नहीं हो सकता इस कारण उन्हें वापस भेज दिया और न्यायालय ने वाद को डिक्री कर दिया इस कारण अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई । अपीलान्ट जब न्यायालय में तारीख पेशी जानकारी करने गया तब मालूम चला कि निर्णय पारित कर दिया गया है । तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसमें अपीलान्ट ने जवाबदावा पेश किया था । परीक्षण न्यायलाय ने सरसरी तौर पर लोक अदालत में दावा वादी स्वीकार किया है । वादिनी शिविर में अनुपस्थित थी । अपीलान्टगण ने निष्पादित रिलीज डीड का अवलोकन करवाया था फिर भी दावा डिक्री किया गया है । अपीलान्ट क्रम 2, 3 और रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की सगी बहिने हैं जिन्होंने उनके पक्ष में हक त्याग किया है फिर भी दावा वादिनी डिक्री किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रामनाथ, जगन्नाथ, कस्तूरी, रामगोपाल, बंशीलाल, रामजानकी, सीताबाई एवं संतोष बाई के नाम दर्ज है। वादिनी जिसमें सहखातेदार दर्ज है । वादिनी को गुमराह करके उनके पक्ष में हक त्याग पत्र का दस्तावेज निष्पादित करवा लिया है जब वादिनी को इसकी जानकारी हुई तो तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष आपत्ति पेश की । अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट वादिनी की आराजी को बेचान करने पर तुले हुए हैं । वादिनी इस रिलीज डीड को शून्य घोषित कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । परीक्षण न्यायालय ने वादिनी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो विधि सम्मत है । वादिनी के द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी परीक्षण न्यायालय में पेश किया हुआ है । अपील विलम्ब से पेश की है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. परीक्षण न्यायालय में पत्रावली आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की बहस में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादी बंशीलाल, सीताबाई और रामजानकी की उपस्थिति दर्ज की गई है । न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वाद वादिनी डिक्री किया गया है ।

14. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा